न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 121/2013

GCMS : 2013/00338

–:: प्रार्थी ::–

1. गेन्दादेवी पुत्री बिहारीलाल पत्नी मोतीलाल जाति– ब्राहम्ण, निवासी– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. बोदूराम पुत्र बिहारीलाल जाति– ब्राहम्ण निवासी– बलून्दा हाल निवास– म.नं. 15/274 तृतीय फ्लोर पन्ना भवन कॉम्पलेक्स ओ.पी.मच्छी मार्केट बेगम बाजार हैदराबाद।
2. विजयराज पुत्र बिहारीलाल
3. राजाकरण पुत्र विजयराज
4. कविता पत्नी घनश्याम
5. घनश्याम पुत्र विजयराज जातियान– ब्राहम्ण निवासीगण– बलून्दा तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।
6. उपपंजियन अधिकारी जैतारण।
7. तहसीलदार जैतारण।
8. पटवारी पटवार हल्का बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 05/03/2013**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 19/10/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायला की पुश्तैनी कब्जा काश्त की कृषि भूमि पटवार सर्कल बलून्दा मे खसरा 556 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 2163 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2164 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, कुल भूमि रकबा 70 बीघा 15 बिस्वा व व नम्बर 556/1 रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 997 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 2000 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 2001 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा कुल भूमि 76 बीघा 17 बिस्वा आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि सायला की पुश्तैनी कृषि भूमि है। सायला के पिता बिहारीलाल आज से 15 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया था। गैरसायल संख्या एक व दो वे प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बताई गई समस्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhask
Date: 2020.10.29 17:22:3
Reason: SelfAttested

म्युटेशन के बाले बाले अपने नाम करवा ली। जिसका ज्ञान सायला को नही होने दिया सायला का प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बताई गई समस्त खसरा नम्बर की भूमि मे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सायला का मालिकाना हक हकूक रखती है। क्योकि वादग्रास्त कृषि भूमि सायला की पुश्तैनी कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बताई गई समस्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि सायला के पिता बिहारीलाल व दादा बस्तीराम की कृषि भूमि थी। गैरसायल संख्या एक व दो ने सायला के पिता बिहारीलाल का देहान्त होने के बाद सायला की पुश्तैनी कृषि भूमि बाले बाले सम्पूर्ण अपने नाम करवा ली। जबकि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बताई गई कृषि भूमि मे सायला का 1/7 हिस्से का हक हकूक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रखती है। जिसका सायला प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बताई गई सम्पूर्ण कृषि भूमि मे 1/7 हिस्से का क्लेम करते हुए 1/7 हिस्से की घोषणा अपने नाम की करवाने की कानूनी अधिकारणी है। इसलिए श्रीमान् की सेवा में सायला का वाद घोषणा का पेश किया है। सायला ने गैरसायल संख्या एक व दो से अपने हक हकूक की पुश्तैनी कृषि भूमि 1/7 हिस्से की भूमि की मांग की तो गैरसायल संख्या एक टालमटोल करते रहे जब सायला गैरसायल संख्या एक व दो अपने भाईयो को कहा एवं जमीन की मांग की तब गैरसायल संख्या एक व दो ने सायला से कहा कि हमने उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का बेचान कर दिया है एवं किसी भी प्रकार का हिस्सा देने से इन्कार कर दिया तब सायला ने दिनांक 21.2.2013 को जमाबन्दी की नकलें पटवारी हल्का बलून्दा से प्राप्त की तब सायला को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि गैरसायल संख्या एक व दो ने गैरसायल संख्या 3,4,5, को बैचान कर दी एवं उक्त बाबत् का दिनांक को ही ओलबा दिया तब सभी गैरसायलान् उक्त कृषि भूमि बैचान करने की सायला को धमकी दी जबकि गैरसायलान् को सायला के 1/7 हिस्से की कृषि भूमि का बैचान करने का कोई कानूनी अधीकार पैदा नही होते है। सायला गैरसायल संख्या 1, 2, 3, 4 को अपनी पुश्तैनी भूमि को बैचान करने से रोकने व रूकवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए सायला की और से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान् की सेवा मे पेश किया है। सायला के प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में बताई गई कृषि भूमि पर उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी कृषि भूमि हक हकूक होने से सायला का वाद मे सफल होने का पूर्ण अन्देशा है एवं सायला की उक्त पुस्तैनी कृषि भूमि होने से सायला 1/7 हिस्से की हिस्सेदारनी होने से सायला कानूनन घोषणा की डिक्री पाने की अधिकारणी होने से सायला प्रार्थना के पद संख्या एक मे बताई गई सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि की घोषणा अपने नाम करवाने की अधिकारणी है। अगर दौराने प्रार्थना पत्र उक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे बताई सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि का बैचान कर देते है तो सायला अपने हक हकुको से महरुम रह जायेगी कब्जे को लेकर विवाद बनेगे इसलिए सायला स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की अधिकारणी है दौराने प्रार्थना पत्र विवादित कृषि भूमि का बैचान होता है तो सायला को काफी असीम क्षति होगी। तथ्यो, परिस्थितियों व सायला के स्वयं के शपथ पत्र से प्रथम दृष्टिया मामला हर दृष्टिकोण से सायला के पक्ष मे बखुबी साबित है तथा मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा कारत से सुविधा का सन्तुलन भी साथला के पक्ष में है। अगर गैरसायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण वसीयत रहन आदि कर दे [illegible] सायला को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी कदर संभव [illegible]

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.10.29 17:22:38
Reason: SelfAttested

मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढ़ेगी व विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। इसलिए गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अभिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं प्रकट तथों पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजता का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि उसके पिता एवं दादा से प्राप्त पैतृक आराजी है, तथा पिता की मृत्यु उपरांत प्रार्थिया प्रथम श्रेणी की पुत्र के समान ही वारिसान होनें के बावजूद उसके कानूनी अधिकारों की अवहेलना करते हुए केवल पुत्रों जो कि अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 है के नाम नामांतरण स्वीकृत कर दिए जानें से अपनें कानूनन हक-हिस्सों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवानें का वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिए जानें के बावजूद न तो जवाब प्रस्तुत किया एवं उपस्थित न होनें पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही भी की गई। प्रार्थिया द्वारा शपथ पत्र मय दस्तावेज से यह प्रकट किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक-पुश्तैनी है। जिसमें उसके जन्म से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार हक-हिस्सा निहित है। इस प्रकार प्रथम-दृष्ट्या मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित होता है। दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 3, 4, व 5 को जरिए बैचान हस्तांतरित कर दिया है, यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्रेता अप्रार्थी संख्या 3, 4, व 5 जोकि अप्रार्थी संख्या 2 विजयराज जो कि प्रार्थिया का भाई है, के पुत्र एवं पुत्रवधु है। इस प्रकार इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होनें का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण किया है और आगे भी ऐसा किए जानें की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थिया को सुगम न्याय-निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार यदि प्रार्थिया के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थिया को की अपूर्णनीय क्षति होगी। चुंकि प्रार्थिया द्वारा अपने पिता की पैतृक आराजी में जन्म से निहित उसके हक-हिस्सों की घोषणा का दावा किया, अतः प्रार्थिया के हक-तक वादग्रस्त आराजी में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में निहित होना साबित होता, न कि अप्रार्थीगण के पक्ष में। इस प्रकार उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया अंतर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होनें से स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम- बलुन्दा तहसील- जैतारण जिला- पाली की खसरा 556, रकबा 34-10 बीघा, खसरा नम्बर 2163, रकबा 08-14 बीघा, खसरा नम्बर 2164, रकबा 27-11 बीघा, व खसरा संख्या 556/1

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.10.29 17:22:3
Reason: SelfAttested

रकबा 34-11 बीघा खसरा नम्बर 997 रकबा 20-15 बीघा, खसरा नम्बर 2000 रकबा 09-04 बीघा, खसरा नम्बर 2001 रकबा 12-07 बीघा, आराजी के वर्तमान अभिलेख एवं मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें, रहन, बैचान, अनुबंध विलेख एवं अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरित न करें।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 19/10/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Ver

Digitally signed by Bha
Date: 2020.10.29 17:2
Reason: SelfAttested